

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1475 द्वारा श्री प्रताप सिंह
सत्र फरवरी-मार्च, 2017

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

परिशिष्ट-01

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/एफ- 3-8/07/10-2 (2129)

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर, 2008

प्रति,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय:- संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्वास।

संदर्भ:- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 3-1/2003-PT दिनांक 21.2.2008

—0—

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के संदर्भांकित पत्र के द्वारा टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में से ग्रामों के पुनर्वास हेतु रूपये 10.00 लाख प्रति परिवार की दर से अनुदान राशि उपलब्ध करवाने एवं इसके उपयोग के संबंध में मार्गदर्शिका जारी की गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा पुनर्वास हेतु दो विकल्प सुझाये गये हैं, जिनमें से विकल्प-1 में हितग्राही व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु राशि नकद दिया जाना है तथा उन्हें कोई भूमि नहीं दी जायेगी, जबकि दूसरे विकल्प में हितग्राहियों को 2 हैक्टर भूमि तथा बाकी नकद राशि दी जायेगी।

इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3-8/2007/10-2 दिनांक 17.7.2008 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 30.8.2008 को अधिक्रमित करते हुए इस मार्गदर्शिका के तारतम्य में संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों के पुनर्वास के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यह प्रक्रिया टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के अलावा अन्य राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्य क्षेत्रों पर भी लागू होगी:-

1. (क) पुनर्वास प्रक्रिया में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अनियम, 2006 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक विस्थापित नहीं किया जायेगा।
- (ख) सामान्यतः पूरे ग्राम का पुनर्वास किसी एक विकल्प के अनुसार होगा अर्थात् या तो सभी प्रभावित व्यक्ति नकद राशि लेकर स्वयं की व्यवस्था से अपना पुनर्वास करेंगे या सभी व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा भूमि देकर एक स्थल पर बसाया जायेगा।
- (ग) विभाग की पुनर्वास नीति के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक महिला / पुरुष को (पति, पत्नि नाबालिग बच्चों सहित) अलग पुनर्वास ईकाई माना गया है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक शारीरिक एवं मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्ति, जो किसी भी आयु या लिंग का हो सकता है, अवयस्क अनाथ जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, को भी अलग परिवार माना गया है।

2. प्रथम विकल्प पूरा नकद (All Cash) के अंतर्गत पुनर्वास प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

- (क) यदि सभी ग्रामवासी निजी संपत्ति की कीमत सहित, 10.00 लाख रुपये प्रति हितग्राही की दर से राशि लेकर स्वतः की व्यवस्था से अन्यत्र बसने को तैयार हो तो उन्हें यह सुविधा प्राथमिकता से दी जायेगी।
- (ख) यदि ग्राम समा सर्व सम्मति से क्रमांक (क) पर सहमत नहीं होती एवं ग्रामीण अपनी सम्पत्ति की कीमत के आधार पर राशि चाहते हैं तो निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगी:-
- (i) सर्व प्रथम ग्राम के लिए उपलब्ध कुल राशि में से निजी सम्पत्ति जैसे कृषि भूमि, मकान, कुआं, पेड़, इत्यादि का मूल्य संबंधित सम्पत्तिधारियों को भुगतान किया जायेगा।
- (ii) शेष राशि सभी पात्र व्यक्तियों / परिवारों को बराबर-बराबर बांट दी जायेगी।
- (ग) हितग्राही को देय समस्त राशि हितग्राही एवं उसकी पत्नी/ पति के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी।

3. द्वितीय विकल्प - (भूमि एवं नकद) के अंतर्गत पुनर्वास की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

- (क) प्रत्येक पात्र परिवार को 2 हैक्टर कृषि योग्य भूमि दी जायेगी। यदि इस कार्य हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध न हो तो भारत शासन की अनुमति से वन भूमि का उपयोग किया जायेगा।
- (ख) पात्र व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति, यथा कृषि भूमि, मकान, कुआं, हेन्ड पंप एवं वृक्ष आदि के मूल्यांकन पर कुल अनुदान राशि का 30 प्रतिशत तक व्यय किया जा सकेगा। यदि पूरे गांव की सम्पत्ति का मुआवजा उपलब्ध अनुदान राशि के 30 प्रतिशत से अधिक हो तो अंतर की राशि के लिए राज्य शासन को आवेदन किया जायेगा। कृषि भूमि के लिए मुआवजा की पात्रता उन्हीं व्यक्तियों को होगी जिनकी कृषि भूमि 2 हैक्टर से अधिक होगी।
- (ग) आवास निर्माण हेतु निर्धारित राशि (20 प्रतिशत) तथा अतिरिक्त अनुदान की राशि (5 प्रतिशत) सीधे हितग्राही तथा उसके पत्नी/ पति के संयुक्त बचत खाते में जमा की जायेगी। इस राशि का उपयोग उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकेगा।
- (घ) यदि पुनर्वास हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तो भूमि क्रय हेतु निर्धारित समस्त 35 प्रतिशत राशि, अधिकारों के अर्जन मूल्य (30 प्रतिशत) से बची राशि, यदि कोई हो तो, तथा सामुदायिक सुविधाओं के विकास हेतु निर्धारित राशि (10 प्रतिशत) संचालक/उप संचालक/वनमंडलाधिकारी के व्यक्तिगत जमा (PDA) खाते में सुरक्षित रखा जायेगा।
- (च) प्रत्येक पुनर्स्थापित ग्राम के लिए उपरोक्तानुसार क्र. 3(घ) में उपलब्ध राशि के आधार पर एक ग्राम विकास योजना तैयार की जायेगी जिसमें कृषि भूमि का विकास, सिंचाई साधनों का विकास, पहुँचमार्ग का निर्माण, पाठशाला, अस्पताल, मंदिर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन,

विद्युत ससाधनों के विकास तथा अन्य ऐसी सुविधाएँ जिनकी ग्रामवासियों को आवश्यकता है, के निर्माण हेतु प्रावधान किए जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन पुनर्वास प्रारंभ होने के 2 वर्ष के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

- (ज) यदि उपरोक्त ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त कोई राशि बचत होती है तो यह राशि ग्राम सभा के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी तथा उसके उपयोग का निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया जायेगा।
- (झ) ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने अथवा विभार के साथ समन्वय करने के लिए प्रत्येक पुनर्स्थापित ग्राम में 5 सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी। सदस्यों का चयन ग्रामीणों द्वारा सर्व सम्मति से किया जायेगा।

4. हितग्राहियों का चयन, अधिकारों का विनिश्चयन, ग्रामीणों की सम्पत्ति के मुआवजा का निर्धारण तथा उन्हें शासन द्वारा उपलब्ध अनुदान के सही-सही भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित जिलाध्यक्ष का होगा तथा वन विभाग उन्हें इस कार्य में पूरा सहयोग देगा।
5. ग्राम की विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध राशि के प्रावधान के अतिरिक्त ग्राम में सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाने एवं सभी शासकीय विकास योजनाओं से ग्राम को जोड़ने का उत्तरदायित्व जिलाध्यक्ष का होगा।
6. स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिलाध्यक्ष एवं वनाधिकारी आपसी सहमति से उपरोक्त व्यवस्था में पुनर्स्थापन के विभिन्न अंशों में राशि के विभाजन में तथा सामान्य प्रक्रिया में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन करने में सक्षम होंगे।

कृपया इस प्रक्रिया से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अवगत करावें।

(सत्यानन्द)

अपर सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2008

पृष्ठांक/एफ- 3-8/07/10-2

प्रतिलिपि:-

समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अनुशाखा अधिकारी
म. प्र. शासन
वन विभाग (कक्ष-2)
बनारस, भोपाल

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग